केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त कांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.
******

दिनांक: 08.03.2016

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/23
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00023
CICOM/R/2015/01176

अपीलकर्ता : श्री अमरजीत,
212, महिपालपुर,
नई दिल्ली -37.

1. दिनांक 07.01.2016 की प्रस्तुत प्रथम अपील जो दिनांक 07.01.2016 को आयोग में डायराईज हुई, श्री अमरजीत, 212, महिपालपुर, नई दिल्ली -37. द्वारा संस्थित की गई है और यह अपीलकर्ता के दिनांक 01.12.2015 के आर.टी.आई. आवेदन संबंधित है ।

2. उक्त प्रथम अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने अभियोग लगाया है कि उनके दिनांक 01.12.2015 के आर.टी.आई. आवेदन एवं शिकायत के संदर्भ में उन्हें जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा अधूरी सूचना प्रदान की गई है । संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता ने दिनांक 27.11.2015 को द्वितीय अपील हेतु आवश्यक दस्तावेज सलग्न करते हुए द्वितीय अपील हेतु आवेदन को लौटाए जाने संबंधी शिकायती पत्र दाखिल किया था जिसे फाइल सं. CIC/SB/A/2015/000570 के तहत द्वितीय अपील के रूप में पंजीकृत कर लिया गया । जिसकी सूचना श्री दिनेश कुमार, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी (सी.आर.) द्वारा पत्र सं. CIC/CPIO/CR/2015/614 दिनांक 15.12.2015 द्वारा अपीलकर्ता के दिनांक 01.12.2015 के आर.टी.आई. के तहत उपलब्ध करा दी गई है ।

4. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

5. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त कांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

अधोहस्ताक्षरी (प्रथम अपीलीय अधिकारी) के पास कार्य की अधिकता एवं हिंदी टंकण जानने वाले कार्मिक की अनुपलब्धता के कारण अपील के निपटान में हुई देरी के लिए खेद है ।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री दिनेश कुमार, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी (सी.आर), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
09 MAR 2016
Initials..........

9/3/16

C. I. C./के० सू० आ०
ISSUED
10 MAR 2016
D No..........
Initials..........